क्रम संख्या–182 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018 ई0

आश्विन 25, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 353 / XXXVI(3) / 2018 / 71(1) / 2018

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदया ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 32, वर्ष– 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 32, वर्ष, 2018)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 3 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :

"परन्तु यह कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते हैं या उसमें से किसी क्षेत्र को निकाल सकते हैं।"

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959' लागू था। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के अधीन यह अधिनियम वर्तमान में यथा संशोधनों सहित उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू हैं।

2– उत्तराखण्ड राज्य में नगर निगमों के प्रशासन को समुचित रूप से संचालित किये जाने हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने या उसमें से किसी क्षेत्र को निकालने की व्यवस्था किया जाना अपरिहार्य है।

3– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 56 विधायी/596–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।